संस्थान की भोजन व्यवस्था हेतु निविदा व संविदा की शर्तें

(लिफाफा नं0 1 में हस्ताक्षर कर रखी जानी है)

1– निविदा दो लिफाफे मे प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफा संख्या एक तकनीकी बिड का होगा जिसमें निविदा की अमानत राशि नौ हजार का डीडी/बैंकर्स चैक तथा तकनीकी बिड निर्धारित प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजो के प्रस्तुत करनी होगी । निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने होंगे ।

लिफाफा संख्या दो प्राईस बिड का होगा जिसमें केवल विभागीय निर्धारित निविदा प्रपत्र में दर अंकित कर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करनी होगी। दोनों लिफाफे अलग–अलग सील बन्द कर एक साथ नत्थी करके प्रस्तुत करनी होगी तथा दोनों लिफाफो पर आवश्यक विवरण जैसे **लिफाफा नम्बर एक तकनीकी बिड एवं लिफाफा नम्बर दो प्राईस बिड** पर निविदा संख्या/ड्यू दिनाक, कार्य का नाम, निविदादाता का नाम व पता, मोबाईल नम्बर इत्यादि अंकित करना होगा। पहले तकनीकी बिड का लिफाफा नम्बर एक खोला जायेगा जिसमें नियमानुसार वांछित अमानत राशि का डीडी एवं तकनीकी निविदा प्रपत्र पूर्णत भरा हुआ मय वांछित दस्तावेजों के पाए जाने पर ही प्राईस बिड का लिफाफा संख्या दो खोला जायेगा। निविदा में विभागीय निविदा की शर्तो के विपरीत किसी भी प्रकार की शर्ते पायी जाने पर निविदा अमान्य होगी ।

2– **न्यूनतम आहर्यताएं :–**

i पिछले पांच वर्षों में जयपुर स्थित रेस्टोरेंट/भोजनालय/कैटरिंग/होटल व्यवसाय में **कम से कम एक वर्ष का अनुभव** आवश्यक है । अनुभव में जयपुर स्थित किसी राजकीय अथवा प्रतिष्ठितसंस्थान का संतोषप्रद कार्य का प्रमाण पत्र आवश्यक है, जिसकी मूल दस्तावेज/प्रतिलिपि संलग्नकिया जाना आवश्यक है । फर्म का **एक वर्ष में कम से कम 1000 पैक्ड भोजन एवं एक वर्ष मेंकम से कम 100 दिनों की आवश्यकतानुसार नियमित रूप से आपूर्ति करने का अनुभव हो, जिसकी मूल एवं फोटोप्रति तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना आवश्यक है ।**

ii सक्षम अथॉरिटी से नियमानुसार जारी **फूड लाईसेंस आवश्यक है**, जिसकी मूल दस्तावेज/फोटोप्रति तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना आवश्यक है ।

iii वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी **जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र** नियमानुसार आवश्यक है, जिसकी मूल दस्तावेज/प्रतिलिपि तकनीकी निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है।

iv फर्म का **शोप एक्ट अथवा अन्य सक्षम अथोरिटी से रजिस्ट्रेशन** आवश्यक है, जिसकी फोटोप्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।

3– निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा में कोई असत्य दस्तावेज प्रस्तुत किये, तो अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी एवं नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

4– संस्थान न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा संस्थान की क्रय समिति द्वारा निविदादाता की तकनीकी एवं भौतिक क्षमताओं का आंकलन कर निविदा पर निर्णय लिया जायेगा ।

5– निविदा स्पष्ट शब्दों व अक्षरों में पैन/स्याही से ही भरी जाये । किसी भी प्रकार की काट–छांट या ओवर राईटिंग के कारण निविदा निरस्त की जा सकती है अथवा निविदा खोलने वाली समिति ऐसी कांट–छांट ओवरराईटिंग पर जो भी निर्णय ले वह निविदादाता को मान्य होगा ।

6– निविदादाता निविदा पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा । निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस बात को दर्शायेंगे कि उसने सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है, अतः निविदा दाता को चाहिये कि वह सभी शर्तों को पढ़ समझ ले, यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो किसी भी कार्यालय दिवस में, कार्यालय समय में संस्थान के सक्षम अधिकारी से मिलकर प्राप्त कर सकते हैं ।

7– निविदादाता को स्वयं की ओर से किसी भी प्रकार की शर्त जोड़ने का अधिकार नहीं है, ऐसी निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।

8– यदि निविदादाता अपनी ओर से संविदा निरस्त करता है और ऐसी स्थिति में संस्थान को वैकल्पिक व्यवस्था करने में कोई अतिरिक्त धनराशि व्यय करनी पड़ती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व अनुबन्धकर्ता फर्म का होगा एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियम अन्तर्गत उसकी धरोहर राशि समपहरित की जा सकेगी ।

9– अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष के लिये होगी । यह अवधि तीन माह के लिये नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिये निविदादाता बाध्य होगा ।

10– अनुबन्धकर्ता फर्म को दिया गया कान्ट्रेट अन्य किसी एजेन्सी अथवा फर्म को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।

11– किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताए रद्ध करने का अधिकार संस्थान को होगा ।

12– निविदा प्रस्तुत करते समय अमानत राशि के रूप में **नौ हजार रूपये का डीडी/बैंकर्स चैक निदेशक ईएसटीआई, जयपुर के नाम** तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा, **अन्यथा** निविदा निरस्त कर दी जावेगी । निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में पच्चीस हजार रूपये की धरोहर राशि जमा करानी होगी, जिसमें अमानत राशि समायोजित कर ली जावेगी।

13– अमानत राशि निम्न परिस्थितियों में भी जप्त कर ली जायेगी :–

अ– जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु निविदा स्वीकृत होने के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।

ब– निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

स– अनुबन्ध करने में आनाकानी करता है एवं निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहता है।

14-- धरोहर राशि अनुबन्ध समाप्ति पर अनुबन्ध के संतोषप्रद निष्पादन होने की स्थिति में वापस लौटा दी जायेगी, किन्तु इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । यदि निविदादाता संविदा के किसी शर्त को भंग करता है या संतोषप्रद कार्य करने में विफल रहता है तो धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।

15– अनुबन्ध पत्र नियमानुसार राशि के स्टाम्प पेपर पर लिखना होगा, जिसका समस्त व्यय निविदादाता का होगा ।

16– किसी भी समय भोजन की व्यवस्था सुचारू एवं संतोषजनक न होने पर एवं अन्य किसी फर्म से कार्य सम्पादित कराने की स्थिति उत्पन्न होने पर समस्त हर्जे खर्चे का उत्तरदायी निविदादाता होगा ।

17– निविदादाता फर्म द्वारा भोजन व्यवस्था संस्थान की अपेक्षाओ के अनुरूप गुणवत्ता एवं मात्रा संतोषजनक न होने की स्थिति में संस्थान को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस अनुबन्ध को किसी भी समय बिना पूर्व नोटिस के समाप्त कर दे ।

18– निविदादाता फर्म द्वारा संस्थान की अपेक्षाओं के अनुरूप भोजन व्यवस्था में गुणवत्ता एवं मात्रा के सम्बन्ध में प्रशिक्षणार्थीयों से शिकायत प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति (अधिशाषी अभियन्ता (प्रशा0), अधिशाषी अभियन्ता (सानिवि), अधिशाषी अभियन्ता (पीएचईडी), भोजन की गुणवत्ता/मात्रा पर जांच कर निर्णय लेंगे एवं समिति के निर्णयानुसार संविदाकर्ता द्वारा संस्थान को उक्त आपूर्ति सामग्री के मूल्य का दण्ड स्वरूप रेट कॉन्ट्रैक्ट की दर का 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक कटौति कर भुगतान किया जायेगा ।

19– निविदादाता समय पर कार्यालय परिसर में भोजन उपलब्ध करायेगा, जो कि गर्म एवं ताजा होगा । लन्च का समय मध्यान्ह 1 बजे होगा, अतः परिसर में खाना 15 मिनट पहले लगा दिया जायेगा । संस्थान समय मे प्रशासनिक कारणों से परिवर्तन कर सकेगा जिसकी सूचना निविदादाता को दे दी जावेगी ।

20– निविदादाता को, प्रशिक्षणार्थीयों की संख्या, प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस पर प्रातः 11: 30 बजे तक उपलब्ध करा दी जायेगी । प्रशिक्षण के दौरान् प्रशिक्षणार्थीयों की संख्या कम या अधिक होने अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । भोजन संस्थान द्वारा निर्धारित आठ खाने वाले पारदर्शी डिस्पांजल पैक मय चम्मच में आपूर्ति किया जायेगा, जिसका नमूना संस्थान परिसर में कार्यालय समय मे देखा जा सकता है। डिस्पांजेबल थाली में खाने का वर्गीकरण प्रपत्र–क पर उपलब्ध है । भोजन सामग्री की आपूर्ति निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न चार्ट (प्रपत्र–ख) के अनुसार ही की जानी है ।

21– भोजन के उपरान्त समस्त प्रकार की सफाई तथा कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थों को हटवाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी । खाना यदि डिस्पोजेबल पैकिट में दिया जाता है तो उनको उठाने व बाहर नियत स्थान पर फैंकने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी । अनुबन्धकर्ता के कर्मचारी/वेटर्स वर्दी में होंगे एवं संस्थान के प्रशिक्षणार्थीयो तथा स्टाफ से शिष्ट व्यवहार करने हेतु बाध्य होंगे, अन्यथा अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा ।

22 यदि निविदादाता फर्म द्वारा भोजन आपूर्ति में लगातार विफल रहता है तो उससे अनुबन्ध समाप्त कर उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर दोबारा निविदा जारी कर दी जावेगी ।

23— भोजन से किसी प्रकार की फूड पोइजनिंग या अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी । ऐसी स्थिति में फर्म के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

24— सभी प्रकार के कर आदि जमा कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी । वर्तमान में प्रचलित समस्त करों/सम्भावित करों की दर में परिवर्तन होने पर समस्त अतिरिक्त राि ा का वहन निविदाकर्ता द्वारा किया जायेगा ।

25— निविदा दाता अपनी दरें समस्त कर सहित प्रस्तुत करें ।

26— संस्थान द्वारा महीने में दो बार भोजन की गुणवत्ता की जांच हेतु अतिरिक्त लन्च की सप्लाई करनी होगी, जिसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा ।

27— संस्थान द्वारा भोजन तैयार किये जाने वाले स्थान,उपभोग की जा रही सामग्री इत्यादि का निरीक्षण कर अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी ।

निदेशक,
अभियांत्रिकी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान,
जयपुर ।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली हैं तथा मैं/हम इसकी पालना करने में पूर्णतः सहमत हूं/हैं ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
व नाम तथा फर्म का नाम व पता
मोबाईल नम्बर

थाली में भोजन का व्यवस्थीकरण

प्रपत्र - क

अचार
सलाद
पापड़

दाल फ्राई | राजमा | छोले | कढ़ी (कोई एक)
प्रतिदिन बदलते हुये

पेपर-पर्किन
एवं टूथपिक,
नींबू, मिर्च, नमक

सूखी सब्जी आलू | अरबी
भिण्डी | गोभी | टिण्डे | गाजर
मटर
(कोई एक) प्रतिदिन बदलते
हुये

तवा चपाती - 5 (देसी घी में
चुपड़ी हुयी।)

मिठाई रसगुल्ला | गुलाब
जामुन | बर्फी (कोई एक
लड्डू पाक) प्रतिदिन
बदलते हुये

मटर पनीर | पालक
पनीर |
मटर पनीर (कोई एक)
प्रतिदिन बदलते हुये

पुलाव | सादा राईस | वेज बिरयानी
पुलाव
(कोई एक)
प्रतिदिन बदलते हुये

बूंदी का रायता |
मिक्स वेजिटेबल रायता |
दही (कोई एक)
प्रतिदिन बदलते
हुये

प्रपत्र– ख

क्रम संख्या	मीनू आईटम
1–	तवा चपाती – 5 (देसी घी में चुपडी हुई)
2–	दाल फ्राई / राजमा / छोले / कढ़ी(कोई एक) प्रतिदिन बदलते हुए
3–	बटर पनीर / पालक पनीर / मटर पनीर(कोई एक) प्रतिदिन बदलते हुए
4–	सूखी सब्जी आलू / अरवी / भिण्डी / गोभी / टिंडे / गाजर / मटर / (कोई एक) प्रतिदिन बदलते हुए
5–	पुलाव / सादा राईस / वेज बिरयानी पुलाव (कोई एक) प्रतिदिन बदलते हुए
6–	बून्दी का रायता / मिक्स वेजीटेबल रायता / दही (कोई एक) प्रतिदिन बदलते हुए
7–	अचार, पापड़, सलाद
8–	मिठाई, रसगुल्ला / गुलाब जामुन / बर्फी (कोई एक बड़ा पीस) प्रतिदिन बदलते हुए
9–	पेपर नेपकिन एवं टूथपिक्स, सौंफ, मिश्री, नमक

निदेशक,
अभियांत्रिकी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान,
जयपुर ।

तकनीकी बिड

लिफाफा नं0 1 में रखी जानी है

क्र0सं0	तकनीकी बिड के बिन्दु	विवरण
1.	संस्था का नाम	
2.	निविदा शुल्क का विवरण रसीद संलग्न करें	रसीद संख्या दिनांक
3.	अर्नेस्ट मनी राशि 9,000/- का डीडी /बैंकर्स चैक निदेशक ईएसटीआई के नाम संलग्न करें	डी0डी0 संख्या दिनांक बैंक का नाम
4.	फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नं0 (फोटोप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)	
5.	फूड लाईसेंस नं0 (फोटोप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)	
6.	फर्म का स्थाई पता	पता : फोन : मोबाईल :
7.	पत्र व्यवहार का पता	पता : फोन : मोबाईल :
8.	संस्था के अधिकृत व्यक्ति का नाम व पद	नाम : पद :
9.	फर्म की बैंक का नाम एवं खाते का प्रकार (प्रमाण हेतु पासबुक/बैंक स्टेटमेंट की फोटोकापी संलग्न करें)	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर व पता सहित

प्राईस बिड

लिफाफा नं0 2 में रखी जानी है

कम संख्या	मीनू आईटम	प्रति पैक्ड भोजन एक मुश्त दर मय समस्त कर एवं समस्त व्यय सहित (राशि रूपये में)
1–	तवा चपाती – 5 (देसी घी में चुपड़ी हुई)	
2–	दाल फ्राई/राजमा/छोले/कढ़ी(कोई एक) प्रतिदिन बदलते हुए	
3–	बटर पनीर/पालक पनीर/मटर पनीर(कोई एक) प्रतिदिन बदलते हुए	
4–	सूखी सब्जी आलू/अरबी/भिण्डी/गोभी/टिंडे/गाजर/मटर/(कोई एक) प्रतिदिन बदलते हुए	
5–	पुलाव/सादा राईस/वेज बिरयानी पुलाव (कोई एक) प्रतिदिन बदलते हुए	
6–	बून्दी का रायता/मिक्स वेजीटेबल रायता/दही (कोई एक) प्रतिदिन बदलते हुए	
7–	अचार, पापड़, सलाद	
8–	मिठाई, रसगुल्ला/गुलाब जामुन/बर्फी (कोई एक बड़ा पीस) प्रतिदिन बदलते हुए	
9–	पेपर नेपकिन एवं टूथपिक्स, सौंफ, मिश्री, नमक	

मैं/हम उपरोक्तानुसार पैक्ड भोजन संस्थान के आदेशानुसार संस्थान परिसर में उक्त दर पर उपलब्ध कराने एवं संविदा की समस्त शर्तो को पालन करने के लिये सहमत हूं ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर व पता सहित